



जनपद गाजियाबाद

प्रेस नोट

दिनांक 14.09.22



प्रेस नोट

दिनांक 13.09.2022 थाना लोनी बार्डर जनपद गाजियाबाद ।

थाना लोनी बोर्डर पुलिस द्वारा 05 नफर अभियुक्त को चार अदद मोबाईल व दो अदद चाकू
नाजायज के साथ किया गिरफ्तार ।

श्रीमान् वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद श्री मुनीराज जी0 के कुशल निर्देशन एवं पुलिस अधीक्षक ग्रामीण महोदय व श्रीमान क्षेत्राधिकारी लोनी महोदय जनपद गाजियाबाद के कुशल पर्यवेक्षण में अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान, चैकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन के दौरान थाना लोनी बार्डर पुलिस द्वारा दिनांक 13.09.2022 को चैकिंग के दौरान समय करीब 17.40 बजे नीलम फेक्ट्री के पास से चौकी क्षेत्र इन्द्रापुरी 05 अभियुक्त जिनमे से 03 बाल अपचारी है 1. दीपक उर्फ तोतला पुत्र रमेश निवासी तिलकराम कालोनी थाना लोनी बोर्डर गाजियाबाद 2. नासिर अब्बास पुत्र अब्बास निवासी गोल मस्जिद के पास मकान मालिक फहीम जमता कालोनी थाना लोनी बोर्डर गाजियाबाद 3. आयुष उर्फ बिट्टू पुत्र जोगेन्द्र निवासी गली न0- 3, तिलकराम कालोनी थाना लोनी बोर्डर गाजियाबाद 4. विकास पुत्र सुरेश निवासी तिलक राम कालोनी थाना लोनी बोर्डर गाजियाबाद 5. समीर पुत्र मुमतियाज आलम निवासी बहेटा हाजीपुर पीर के पास थाना लोनी बोर्डर गाजियाबाद चार अदद मोबाईल व दो अदद चाकू नाजायज के साथ गिरफ्तार किया गया । अभियुक्तगणों से बरामद मोबाइल पूर्व मे लिखे थाना हाजा पर मु0अ0सं0 324/22 धारा 392 भादवि पंजीकृत है । जिसकी विवेचना उ0नि0 श्री सौरभ कुमार सिंह द्वारा की जा रही है । बरामद तीनो मोबाईल रेडमी वीवो Y15, व Y20 थाना हाजा पर मु0अ0सं0 689/22 धारा 380 भादवि से सम्बन्धित है । जिसकी विवेचना उ0नि0 श्री करनबीर सिंह द्वारा की जा रही है । गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण –

1. दीपक उर्फ तोतला पुत्र रमेश निवासी तिलकराम कालोनी थाना लोनी बोर्डर गाजियाबाद उम्र 20 वर्ष

2. नासिर अब्बास पुत्र अब्बास निवासी गोल मस्जिद के पास मकान मालिक फहीम जमता कालोनी थाना लोनी बोर्डर गाजियाबाद उम्र 22 वर्ष

3. बाल अपचारी आयुष उर्फ बिट्टू पुत्र जोगेन्द्र निवासी गली न0- 3, तिलकराम कालोनी थाना लोनी बोर्डर गाजियाबाद उम्र 15 वर्ष
4. बाल अपचारी विकास पुत्र सुरेश निवासी तिलक राम कालोनी थाना लोनी बोर्डर गाजियाबाद उम्र 15 वर्ष
5. बाल अपचारी समीर पुत्र मुमतियाज आलम निवासी बहेटा हाजीपुर पीर के पास थाना लोनी बोर्डर गाजियाबाद उम्र 16 वर्ष

अभियुक्त दीपक उर्फ तोतला का आपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0सं0 691/22 धारा 4/25 आर्म एक्ट थाना लोनी बोर्डर जनपद गा0बाद ।
2. मु0अ0सं0 324/22 धारा 392 भादवि थाना लोनी बोर्डर जनपद गा0बाद ।
3. मु0अ0सं0 689/22 धारा 380 भादवि थाना लोनी बोर्डर जनपद गा0बाद ।

अभियुक्त नासिर अब्बास का आपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0सं0 691/22 धारा 4/25 आर्म एक्ट थाना लोनी बोर्डर जनपद गा0बाद ।
2. मु0अ0सं0 689/22 धारा 380 भादवि थाना लोनी बोर्डर जनपद गा0बाद ।
3. मु0अ0सं0 218//16 धारा 398/401 भादवि थाना लोनी बोर्डर जनपद गा0बाद ।
4. मु0अ0सं0 233/16 धारा 4/25 आर्म एक्ट थाना लोनी बोर्डर जनपद गा0बाद ।
5. मु0अ0सं0 276/20 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना लोनी बोर्डर जनपद गा0बाद ।
6. मु0अ0सं0 905/21 धारा 414 भादवि थाना लोनी बोर्डर जनपद गा0बाद ।

बाल अपचारी आयुष उर्फ बिट्टू का आपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0सं0 689/22 धारा 380 भादवि थाना लोनी बोर्डर जनपद गा0बाद ।

बाल अपचारी विकास का आपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0सं0 689/22 धारा 380 भादवि थाना लोनी बोर्डर जनपद गा0बाद ।

बाल अपचारी समीर का आपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0सं0 689/22 धारा 380 भादवि थाना लोनी बोर्डर जनपद गा0बाद ।

अभियुक्तगण से बरामद का विवरण-

दो अदद चाकू नाजायज एवं तीन अदद मोबाईल जिनमे एक मोबाईल रेडमी कम्पनी नीले रंग जिसका IMEI न0 चैक किया गया तो 869956042196918 व 869956042196226, व दो मोबाईल वीवो Y15 कम्पनी के एक नीले रंग का जिसकी IMEI न0 चैक किया गया तो 869408044387194 तथा दूसरा मोबाईल वीवो Y20 कम्पनी रंग नेवी ब्लू जिसका IMEI न0 860430056158015 व 860430056158007 पाया गया बरामद हुए ।



प्रेस नोट

दिनांक 13.09.2022 थाना लोनी बार्डर जनपद गाजियाबाद ।

थाना लोनी बोर्डर पुलिस द्वारा दो व्यक्ति को दो अदद आटो श्रीव्हीलर (चोरी के) के साथ किया गिरफ्तार ।

श्रीमान् वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद श्री मुनीराज जी० के कुशल निर्देशन एवं पुलिस अधीक्षक ग्रामीण महोदय व श्रीमान क्षेत्राधिकारी लोनी महोदय जनपद गाजियाबाद व थानाध्यक्ष लोनी बार्डर के कुशल पर्यवेक्षण में अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान, चैकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन के दौरान थाना लोनी बार्डर पुलिस द्वारा दिनांक 13.09.2022 को चैकिंग के दौरान समय करीब 21.40 बजे लोनी बस डिपो बैरियर से चौकी क्षेत्र लोनी बोर्डर से दो अभियुक्तगण 1.विनय पुत्र श्री छत्रपाल सिंह निवासी म.नं.ई-668,गली नं.20,ई ब्लाक,शक्ति गार्डन ,ईस्ट गोकलपुर थाना ज्योति नगर दिल्ली 40 वर्ष 2. देवेन्द्र उर्फ टमाटर पुत्र श्री नन्हें निवासी गली नं. 06 राजनगर कालोनी थाना लोनी बार्डर जनपद गाजियाबाद उम्र 23 वर्ष को दो अदद आटो श्रीव्हीलर (चोरी के) पहला रजिस्ट्रेशन नम्बर DL 1RP 9851 जो ई पुलिस स्टेशन एम वी थेफ्ट क्राइम ब्रांच दिल्ली मु.अ.सं. 025812/22 दिनांक 09.09.2022 को पंजीकृत है व दूसरा रजिस्ट्रेशन नम्बर DL 1RS6676 ई पुलिस स्टेशन एम वी थेफ्ट क्राइम ब्रांच दिल्ली मु.अ.सं. 025804/22 दिनांक 09.09.2022 को पंजीकृत है के साथ गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण –

- 1.विनय पुत्र श्री छत्रपाल सिंह निवासी म.नं.ई-668,गली नं.20,ई ब्लाक,शक्ति गार्डन ,ईस्ट गोकलपुर थाना ज्योति नगर दिल्ली 40 वर्ष
- 2.देवेन्द्र उर्फ टमाटर पुत्र श्री नन्हें निवासी गली नं. 06 राजनगर कालोनी थाना लोनी बार्डर जनपद गाजियाबाद उम्र 23 वर्ष

अभियुक्त विनय का आपराधिक इतिहास:-

- 1.मु०अ०स० 694/22 धारा 411/414 भादवि० थाना लोनी बोर्डर गाजियाबाद
2. मु.अ.सं. 025812/22 ई पुलिस स्टेशन एम वी थेफ्ट क्राइम ब्रांच दिल्ली
3. मु.अ.सं. 025804/22 ई पुलिस स्टेशन एम वी थेफ्ट क्राइम ब्रांच दिल्ली

अभियुक्त देवेन्द्र उर्फ टमाटर का आपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0स0 694/22 धारा 411/414 भादवि0 थाना लोनी बोर्डर गाजियाबाद
2. मु.अ.सं. 025812/22 ई पुलिस स्टेशन एम वी थैफ्ट क्राइम ब्रांच दिल्ली
3. मु.अ.सं. 025804/22 ई पुलिस स्टेशन एम वी थैफ्ट क्राइम ब्रांच दिल्ली

अभियुक्तगण से बरामद का विवरण-

1. आटो रजि0 न0 DL 1RP 9851
2. आटो रजि0 न0 DL 1RS6676

गिरफ्तार करने वाली टीम -

- 1-उ0नि0 विशाल सिंह थाना लोनी बोर्डर गा0बाद ।
2. हे.कां. 1468 रविन्द्र थाना लोनी बोर्डर गा0बाद ।
3. कां.2276 अमरपाल थाना लोनी बोर्डर गा0बाद ।



प्रेस नोट थाना विजयनगर,

श्रीमान पुलिस वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री मुनिराज जी द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आदेशानुसार पुलिस अधीक्षक नगर प्रथम एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के कुशल पर्यवेक्षण एवं निर्देशन में तथा प्रभारी निरीक्षक विजयनगर के कुशल नेतृत्व में थाना विजय नगर पुलिस को अभियान के दौरान उस समय महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई जब थाना विजयनगर प्रभारी निरीक्षक के नेतृत्व में पुलिस पार्टी द्वारा दिनांक 14.09.2022 को समय करीब 06:45 बजे रिछपाल गढ़ी पुलिया के पास थाना क्षेत्र विजय नगर से चैन लुटेरों से चैन खरीदने वाले दो नफर अभि0 1. फईम पुत्र रहीसुद्दीन 2. दीपक पुत्र राजकुमार वर्मा को दो अदद चैन पीली धातु के साथ गिरफ्तार किया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता

1. फईम पुत्र रहीसुद्दीन निवासी मोती कालोनी सिकन्दर गेट थाना कोतवाली नगर हापुड गाजियाबाद
2. दीपक पुत्र राजकुमार वर्मा निवासी बबलू का किराये का मकान मेरठ गेट सर्राफा बाजार, थाना कोतवाली नगर हापुड जिला गाजियाबाद

अभियुक्त गण का अपराध करने का तरीका

अभि0 गण द्वारा पूछताछ में बताया कि साहब यामीन पुत्र शाहबुद्दीन निवासी खुशहालनगर थाना लिसाड़ी गेट जिला मेरठ हालपता ग्राम पतला थाना निवाडी जिला गाजियाबाद व सलीम पुत्र खलील निवासी ग्राम कम्हैडा थाना मुरादनगर जनपद गाजियाबाद , ये दोनों मिलकर नोएडा, गाजियाबाद व दिल्ली एनसीआर से चैन स्नैचिंग करते है और छीनी गयी चैनो को हम दोनों को सस्ते दामों में बेच देते है । जिन्हें हम ज्यादा दामों में बेचकर लाभ कमाते है । यह दोनों चैन हमने इन दोनों से ही खरीदी थी ।

अभि0 गण का आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0सं0 1194/22 धारा 392 /411/34 भादवि
2. मु0अ0सं0 1052/22 धारा 392/411/34 भादवि

बरामदगी का विवरण

1. 01 अदद चैन पीली धातु सम्बन्धित मु0अ0सं0 1194/22 धारा 392 /411/34 भादवि
2. 01 अदद चैन पीली धातु सम्बन्धित मु0अ0सं0 1052/22 धारा 392/411/34 भादवि

बरामदगी करने वाली पुलिस टीम

1. प्रभारी निरीक्षक श्री योगेन्द्र मलिक
2. उ0नि0 श्री राममेहर सिंह मलिक
3. है0का0 आशाराम
4. का0 संदीप धामा
5. का0 अभय प्रताप सिंह



प्रेस नोट

दिनांक-14/09/2022---- थाना सिहानीगेट

(गाजियाबाद)

थाना सिहानीगेट पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान स्कूटी पर

सबार दो लूटेरो को एक अदद तमन्चा 315 बोर मय

कारतूस ,एक चाकू ,मोबाईल व नकबजनी आदि सहित

किया गिरफ्तार

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद गाजियाबाद श्री मुनिराज जी आईपीएस के आदेशानुसार अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर श्री निपुण अग्रवाल आईपीएस के दिशा निर्देशन में तथा क्षेत्राधिकारी सिहानीगेट श्रीमति आलोक दूबे के कुशल पर्यवेक्षण व प्रभारी निरीक्षक श्री नरेश कुमार शर्मा के कुशल नेतृत्व में थाना सिहानीगेट पुलिस द्वारा थाना सिहानीगेट के मुखविर खास की सूचना पर अभियुक्तगण 1. गौरव गुप्ता पुत्र सुधीर गुप्ता निवासी सी ब्लॉक गुरुनानक स्कूल के पास लोहिया नगर थाना सिहानीगेट जनपद गाजियाबाद 2. आशीष कुमार उर्फ सुन्नू पुत्र स्व० मनोज निवासी F-310 उदल नगर पटेलनगर थाना सिहानीगेट जनपद गाजियाबाद को अवैध तमंचा ,कारतूस ,चाकू व लूट की घटना में लूटे गये 03 मोबाइल ,ज्वैलरी ,2000 रुपये एवं कागजात आदि सहित गिरफ्तार किया गया ।

पंजीकृत अभियोग का विवरण:-

1. मु०अ०स० 591/2022 धारा 414,411 भादवि बनाम गौरव गुप्ता थाना सिहानीगेट गा०बाद
2. मु०अ०स० 592/2022 धारा 3/25 आम्स एक्ट बनाम गौरव गुप्ता थाना सिहानीगेट गा०बाद
3. मु०अ०स० 593/2022 धारा 4/25 आर्मस एक्ट भादवि बनाम आशीष कुमार थाना सिहानीगेट गा०बाद

आपराधिक इतिहास :- अभियुक्त गौरव गुप्ता

1. मु०अ०स० 904/2017 धारा 13 जुआ एक्ट बनाम गौरव गुप्ता थाना सिहानीगेट गा०बाद
2. मु०अ०स० 957/2017 धारा 8/2020 एन०डी०पी०एस० एक्ट बनाम गौरव गुप्ता थाना सिहानीगेट गा०बाद

3. मु0अ0स0 1732/2018 धारा 8/17 एन0डी0पी0एस0 एक्ट बनाम गौरव गुप्ता थाना सिहानीगेट गा0बाद
4. मु0अ0स0 236/2021 धारा 8/21 एन0डी0पी0एस0 एक्ट बनाम गौरव गुप्ता थाना सिहानीगेट गा0बाद
5. मु0अ0स0 237/2021 धारा 4/25 आम्स एक्ट बनाम गौरव गुप्ता थाना सिहानीगेट गा0बाद
6. मु0अ0स0 483/2018 धारा 8/2020 एन0डी0पी0एस0 एक्ट बनाम गौरव गुप्ता थाना सिहानीगेट गा0बाद
7. मु0अ0स0 101/2022 धारा 392 भादवि बनाम गौरव गुप्ता थाना सिहानीगेट गा0बाद
8. मु0अ0स0 158/2022 धारा 392 भादवि बनाम गौरव गुप्ता थाना सिहानीगेट गा0बाद
9. मु0अ0स0 591/2022 धारा 414,411 भादवि बनाम गौरव गुप्ता थाना सिहानीगेट गा0बाद
10. मु0अ0स0 592/2022 धारा 3/25 आम्स एक्ट बनाम गौरव गुप्ता थाना सिहानीगेट गा0बाद
11. मु0अ0स0 593/2022 धारा 4/25 आर्मस एक्ट भादवि बनाम आशीष कुमार थाना सिहानीगेट गा0बाद

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- 1.उ0नि0 रामप्रताप सिंह थाना सिहानीगेट गा0बाद
- 2.उ0नि0 जाहिद खां थाना सिहानीगेट गा0बाद
3. लाल बाबू मिश्रा थाना सिहानीगेट गा0बाद
- 4.HC 705 राजेन्द्र सिंह थाना सिहानीगेट गा0बाद
- 5.का0 276 विनित कुमार थाना सिहानीगेट गा0बाद
- 6.का0 1546 रोहित कुमार थाना सिहानीगेट गा0बाद

बरामदगी-

- 1.एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर
- 2.एक अदद नाजायज चाकू
- 3.एक अदद लैडिज हैंड बैग जिसमे मोबाइल फोन VIVO V20 व छवीलदास के दो आईडी कार्ड
- 4.एक अदद बुन्दा
- 5.दो अदद EARING RINGS
- 6.एक अदद टोप्स
- 7.REALME मोबाइल
- 8.VIVO मोबाइल लाल रंग
9. 2000/- रुपये लूटे गये
- 10.एक अदद स्कूटी नं0 UP14AX3041



Samsung Triple Camera
by Vishnu



प्रेस नोट

थाना कौशाम्बी जनपद गाजियाबाद

दिनांक 14.09.2022

**थाना कौशाम्बी पुलिस द्वारा 02 वर्षों से मुकदमे में फरार चल रहा अभियुक्त
गिरफ्तार**

श्रीमान पुलिस वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय गाजियाबाद द्वारा अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान में पुलिस अधीक्षक नगर द्वितीय महोदय व क्षेत्राधिकारी नगर तृतीय महोदय के कुशल निर्देशन में तथा प्रभारी निरीक्षक थाना कौशाम्बी पुलिस टीम द्वारा दिनांक 14.09.2022 को गंगा अपार्टमेन्ट के पास से मु0अ0स0-80/20 धारा 386/307/34 भादवि में 2 वर्षों से फरार चल रहा वांछित अभियुक्त गंगाराम पुत्र किशनराम निवासी ग्रा0 उपराडा थाना गंगोली हाट जिला पिथौरा गढ़ हाल पता नसीम सिंह के घर मे किरायेदार गली न0-14 गाजीपुर थाना गाजीपुर दिल्ली उम्र करीब 34 वर्ष गाजियाबाद को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त उपरोक्त को न्यायिक हिरासत मे भेजा जा रहा है।

अपराध का विवरण-

अभि0 गंगाराम द्वारा अपने मालिक सुभाष यादव व मोनिल यादव (पूर्व में जेल भेजा जा चुका है) के साथ आकर मुकदमा वादिया को जान से मारने की नीयत से फायर करना व 50 लाख रुपये की माँग करना।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त -

अभियुक्त गंगाराम पुत्र किशनराम नि0 ग्रा0 उपराडा थाना गंगोली हाट जिला पिथौरा गढ़ हाल पता नसीम सिंह के घर मे किरायेदार गली न0-14 गाजीपुर थाना गाजीपुर दिल्ली उम्र करीब 34 वर्ष



अभियुक्त गण का आपराधिक इतिहास का विवरण -

1. मु0अ0स0-80/20 धारा 386/307/34 भादवि थाना कौशाम्बी गा0बाद।
 2. मु0अ0स0 107/20 धारा 3/25 ए एक्ट थाना कौशाम्बी गा0बाद।
- व अन्य अपराधिक इतिहास के संबंध में जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -

1. निरीक्षक राजीव सिंह
2. है0का90 1403 राघव सिंह
3. का0 लव कुमार



प्रेस नोट

दिनांक 14.09.2022 थाना लोनी

थाना लोनी पुलिस द्वारा सट्टे की खाई बाडी करने वाले 4 अभियुक्त 52 अदद ताश के पत्ते व 14500 रुपये सहित गिरफ्तार

श्री मुनीराज वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद द्वारा सट्टे की खाई बाडी करने वालों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण गा0बाद एवं क्षेत्राधिकारी लोनी के निर्देशन में थाना लोनी पुलिस द्वारा मोबाइल फोन के माध्यम से सट्टे की खाई बाडी करने वाले चार अभियुक्त 1-इरफान पुत्र बदलू नि जमालपुरा अशोक विहार थाना लोनी गा0बाद 2- रिजवान पुत्र शरीफ नि जमालपुरा अशोक विहार थाना लोनी गा0बाद , 3- आस मौ पुत्र हाशम नि जमालपुरा अशोक विहार थाना लोनी गा0बाद ,4- इमरान पुत्र हमीद नि जमालपुरा अशोक विहार थाना लोनी गा0बाद को 52 अदद ताश के पत्ते व 14500_रुपये सहित राशिद अली गेट के अंदर नितौरा रोड के पास से दिनांक 13.09.2022 की रात्रि में गिरफ्तार किया गया । आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त -

- 1-इरफान पुत्र बदलू नि जमालपुरा अशोक विहार थाना लोनी गा0बाद
- 2- रिजवान पुत्र शरीफ नि जमालपुरा अशोक विहार थाना लोनी गा0बाद
- 3- आस मौ पुत्र हाशम नि जमालपुरा अशोक विहार थाना लोनी गा0बाद
- 4- इमरान पुत्र हमीद नि जमालपुरा अशोक विहार थाना लोनी गा0बाद

अभियुक्त के विरुद्ध पंजीकृत अभियोग का विवरण:

मु0अ0सं0- 1082 /2022 धारा 13 जुआ अधि0 थाना लोनी गा0बाद

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

- 1.SHO श्री अजय चौधरी थाना लोनी गाजियाबाद
2. उ0नि0 यू0 टी0 मयंक कुमार चौकी अशोक विहार थाना लोनी गा0बाद
- 3.का0-1443 सत्यदेव यादव
4. का0- 677 रामू सिंह

बरामदगी का विवरण:-

52 अदद ताश के पत्ते व 14500 रुपये बरामद ।

प्रेस नोट

थाना साहिबाबाद -जनपद गाजियाबाद

थाना साहिबाबाद पुलिस द्वारा एक अभियुक्त गिरफ्तार जिसके कब्जे से अल्प्राजोलम नशीली 260 टैवलेट अवैध बरामद ।

दिनांक 14.09.2022

कार्यवाही:- कार्यवाही:- जनपद गाजियाबाद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के दौरान श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद महोदय के निर्देशन एवं श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर द्वितीय महोदय के निकट पर्यवेक्षण तथा क्षेत्राधिकारी नगर चतुर्थ महोदय के कुशल नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक साहिबाबाद की टीम द्वारा दिनांक: 14.09.2022 समय 6.45 बजे नाग द्वार कट से राजीव कालौनी की ओर जाने वाले रास्ते पर थाना साहिबाबाद गाजियाबाद से अभियुक्तगण मय 260 अल्प्राजोलम नशीली टैबलेट सहित गिरफ्तार किया गया।

अपराध कारित करने का तरीका:-

अभियुक्त ने पूछताछ में बताया कि साहब मैं नशा करने वाले लोगो को यह टैबलेट बेचकर मुनाफा कमाता हू। तथा बरामद टैबलेट के बारे में लाइसेंस तलब किया गया तो नहीं दिखा सके जिसके संबंध में थाना हाजा पर मुकदमा पंजीकृत कर अग्रिम कार्यावीह की जा रही है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त-

1. मोहित कुमार उम्र 26 वर्ष पुत्र श्री विनोद कुमार निवासी बी- 1292 राजीव कालौनी मोहन नगर थाना साहिबाबाद गाजियाबाद



अभियुक्त गण का अपराधिक इतिहास

1. मु0अ0स0 1485/22 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट बनाम मोहित थाना साहिबाबाद गा0बाद

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

उ0नि0 गिराज सिंह

का0 3793 मुनेन्द्र सिंह

बरामदगी का विवरण

260 अल्प्राजोलम नशीली टैबलेट अवैध



प्रेस नोट

थाना साहिबाबाद -जनपद गाजियाबाद

थाना साहिबाबाद पुलिस द्वारा विभिन्न मामलो मे कुल 15 अभियुक्त गण गिरफ्तार

कार्यवाही:- कार्यवाही:- जनपद गाजियाबाद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के दौरान श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद महोदय के निर्देशन एवं श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर द्वितीय महोदय के निकट पर्यवेक्षण तथा क्षेत्राधिकारी नगर चतुर्थ महोदय के कुशल नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक साहिबाबाद द्वारा मय टीम के अलग अलग मामलो मे आज दिनांक 14.9.2022 को कुल 15 अभिगण गिरफ्तार कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। जिनका विवरण निम्नवत है।



1. 2 अभियुक्त अन्तर्गत धारा 4/25 आर्म्स एक्ट
2. 02 अभियुक्त चोरी से संबंधित – चोरी का मोबाइल बरामद
3. 5 अभियुक्त शांति भंग -151 सीआरपीसी चालान जिनमे अभियुक्त 1.सुदामा यादव पुत्र सिंहासन.यादव नि0 गली न0 3 मैन श्याम पार्क सा0बाद गा0बाद उम्र 58 वर्ष 2. हिमांशु शर्मा पुत्र महेन्द्र शर्मा नि0 म0न0 379 गली न0 3 मैन श्यामपार्क सा0बाद गा0बाद उम्र 26 वर्ष ट्वीट से संबंधित
4. 1 अभियुक्त मु0अ0स0 1478/22 से संबंधित
5. 04 बाल अपचारी संबंधित धारा 377 भादवि
6. 01 अभियुक्त एनडीपीएस एक्ट



प्रेस नोट

थाना साहिबाबाद -जनपद गाजियाबाद
थाना साहिबाबाद पुलिस द्वारा 02 अभियुक्त गिरफ्तार जिनके कब्जे से 02 अदद चोरी
के मोबाइल व दो अदद चाकू अवैध बरामद ।

कार्यवाही:जनपद गाजियाबाद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के दौरान श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद महोदय के निर्देशन एवं श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर द्वितीय महोदय के निकट पर्यवेक्षण तथा क्षेत्राधिकारी नगर चतुर्थ महोदय के कुशल नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक साहिबाबाद की टीम द्वारा दिनांक: 13.09.2022 समय 23.20 बजे कटोरी मिल टैम्पो स्टैण्ड के पास मोहन नगर से 02 अभियुक्तगण मय कब्जे से 02 चोरी के मोबाइल व दो अदद चाकू अवैध जिनसे गिरफ्तार किया गया ।

अपराध कारित करने का तरीका:-

अभियुक्त गण उपरोक्त ने पूछताछ मे बताया कि साहब हमसे जो मोबाइल नीले रंग का मिला है वह हमने सोमवार को नेहरू नगर से एक मकान से चोरी किया था काले रंग के मोबाइल के बारे स्थान याद नहीं है कि कहां से चोरी किया था । नीले रंग के मोबाइल के बारे में जानकारी कराई गयी तो थाना मधुबन बापूधाम पर मु0अ0सं0 412/2022 धारा 380 भादवि का पंजीकृत होना ज्ञात हुआ। बरामद चाकूओं के रखने के सम्बन्ध में लाइसेंस तलब किया तो दोनों ही दिखाने में कासिर रहे। अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।



नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तगण

1. फिरोज मलिक पुत्र ग्यास मलिक निवासी जस्सीपुरा पुलिक चौकी के पास कैला भट्टा थाना कोतवाली गाजियाबाद
2. अमजद पुत्र मौ0 सईद निवासी गली नं0 6 ठाकुर हलवाई के पास भजनपुरा दिल्ली

अभियुक्त गण का अपराधिक इतिहास

- 1.मु0अ0स0 1480/22 धारा 411/414 भादवि थाना साहिबाबाद गा0बाद बनाम फिरोज व अमजद
- 2.मु0अ0स0 1481/22 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट बनाम फिरोज थाना सा0बाद गा0बाद
3. मु0अ0स0 1482/22 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट बनाम अमजद थाना सा0बाद गा0बाद
- 4.मु0अ0स0 412/22 धारा 380 भादवि बनाम फिरोज व अमजद थाना मधुबन बाबूधाम

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

उ0नि0 गिराज सिंह
हे0का0 149 जवाहर सिंह
का01915 मोहित

बरामदगी का विवरण

प्रेस नोट:-

तार चोरी करने वाले चार अभियुक्त अवैध तमंचा - कारतूस, चाकू व तार काटने के उपकरण के साथ गिरफ्तार

दिनांक-14.09.22 थाना भोजपुर, गाजियाबाद



श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद महोदय द्वारा अपराध एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण महोदय व श्रीमान क्षेत्राधिकारी मोदीनगर महोदय के कुशल नेतृत्व में थाना भोजपुर पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर 1. मुकुन्द पुत्र जय शंकर नि० धर्मपाल मार्केट नियर जे के धर्मकाँटा मैन दादरी रोड कस्वा सुरजपुर थाना सुरजपुर ग्रेटर नोएडा उम्र-20 वर्ष 2. तुषार उर्फ तुस्सू पुत्र मनोज नि० लोटस पार्क धर्म पाल मार्केट थाना व कस्वा सुरजपुर ग्रेटर नोएडा उम्र-20 वर्ष 3. मुफीद पुत्र तय्यूव नि० कलछीना थाना भोजपुर गा०वादा उम्र-26 वर्ष 4. साजिद पुत्र आविद नि० कलछीना थाना भोजपुर गा० वादा उम्र- 22 वर्ष 5. दीपाशु पुत्र लालाराम नि० अम्बेडकर मौ० थाना सुरजपुर जिला गौतम बुद्ध नगर को अवैध तमंचा 315 बोर व 01 जिंदा कारतूस 315 बोर, अवैध चाकू व तार काटने के उपकरण के साथ नाहली किल्होडा रेलवे लाइन पुल के पास से गिरफ्तार किया गया व अभि० 1. आजाद पुत्र शमशाद नि० नि० कलछीना 2. आरिफ उर्फ चेहु पुत्र आजाद नि० कलछीना थाना भोजपुर गा०वादा 3. नवेद पुत्र अज्ञात नि० अज्ञात 4. मोनु पुत्र अज्ञात नि० अज्ञात मौके से भाग गये तथा गिरफ्तार अभियुक्तों को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त-

1. मुकुन्द पुत्र जय शंकर नि० धर्मपाल मार्केट नियर जे के धर्मकाँटा मैन दादरी रोड कस्वा सुरजपुर थाना सुरजपुर ग्रेटर नोएडा उम्र-20 वर्ष

अभियोगों का विवरण:-

मु०अ०स० 74/22 धारा 136 वि० अधि० थाना भोजपुर, गा०बादा,

मु०अ०स० 110/22 धारा 136 वि० अधि० थाना भोजपुर, गा०बादा,

मु०अ०स० 140/22 धारा 136 वि० अधि० थाना भोजपुर, गा०बादा,

मु०अ०स० 161/22 धारा 136 वि० अधि० थाना भोजपुर, गा०बादा,

मु०अ०स० 182/22 धारा 136 वि० अधि० थाना भोजपुर, गा०बादा,

मु०अ०स० 204/22 धारा 136 वि० अधि० थाना भोजपुर, गा०बादा,

मु०अ०स० 244/22 धारा 136 वि० अधि० थाना भोजपुर, गा०बादा,

मु0अ0स0 264/22 धारा 136 वि0 अधि0थाना भोजपुर, गा0बाद,
मु0अ0स0 283/22 धारा 136, 137 वि0 अधि0थाना भोजपुर, गा0बाद,

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त-

2. तुषार उर्फ तुस्सू पुत्र मनोज नि0 लोटस पार्क धर्म पाल मार्केट थाना व कस्वा सुरजपुर ग्रेटर नोएडा उम्र-20 वर्ष
अभियोगों का विवरण:-

मु0अ0स0 74/22 धारा 136 वि0 अधि0 थाना भोजपुर, गा0बाद,
मु0अ0स0 110/22 धारा 136 वि0 अधि0 थाना भोजपुर, गा0बाद,
मु0अ0स0 140/22 धारा 136 वि0 अधि0थाना भोजपुर, गा0बाद,
मु0अ0स0 161/22 धारा 136 वि0 अधि0थाना भोजपुर, गा0बाद,
मु0अ0स0 182/22 धारा 136 वि0 अधि0थाना भोजपुर, गा0बाद,
मु0अ0स0 204/22 धारा 136 वि0 अधि0थाना भोजपुर, गा0बाद,
मु0अ0स0 244/22 धारा 136 वि0 अधि0थाना भोजपुर, गा0बाद,
मु0अ0स0 264/22 धारा 136 वि0 अधि0थाना भोजपुर, गा0बाद,
मु0अ0स0 283/22 धारा 136, 137 वि0 अधि0थाना भोजपुर, गा0बाद

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त-

3. मुफीद पुत्र तय्यूव नि0 कलछीना थाना भोजपुर गा0बाद उम्र-26 वर्ष
अभियोगों का विवरण:-

मु0अ0स0 74/22 धारा 136 वि0 अधि0 थाना भोजपुर, गा0बाद,
मु0अ0स0 110/22 धारा 136 वि0 अधि0 थाना भोजपुर, गा0बाद,
मु0अ0स0 140/22 धारा 136 वि0 अधि0थाना भोजपुर, गा0बाद,
मु0अ0स0 161/22 धारा 136 वि0 अधि0थाना भोजपुर, गा0बाद,
मु0अ0स0 182/22 धारा 136 वि0 अधि0थाना भोजपुर, गा0बाद,
मु0अ0स0 204/22 धारा 136 वि0 अधि0थाना भोजपुर, गा0बाद,
मु0अ0स0 244/22 धारा 136 वि0 अधि0थाना भोजपुर, गा0बाद,
मु0अ0स0 264/22 धारा 136 वि0 अधि0थाना भोजपुर, गा0बाद,
मु0अ0स0 283/22 धारा 136, 137 वि0 अधि0थाना भोजपुर, गा0बाद,

मु0अ0स0 315/22 धारा 3/25 आर्मस एक्ट थाना भोजपुर, गा0बाद

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त-

4. साजिद पुत्र आविद नि0 कलछीना थाना भोजपुर गा0 वाद उम्र- 22 वर्ष

अभियोगों का विवरण:-

मु0अ0स0 74/22 धारा 136 वि0 अधि0 थाना भोजपुर, गा0बाद,

मु0अ0स0 110/22 धारा 136 वि0 अधि0 थाना भोजपुर, गा0बाद,

मु0अ0स0 140/22 धारा 136 वि0 अधि0थाना भोजपुर, गा0बाद,

मु0अ0स0 161/22 धारा 136 वि0 अधि0थाना भोजपुर, गा0बाद,

मु0अ0स0 182/22 धारा 136 वि0 अधि0थाना भोजपुर, गा0बाद,

मु0अ0स0 204/22 धारा 136 वि0 अधि0थाना भोजपुर, गा0बाद,

मु0अ0स0 244/22 धारा 136 वि0 अधि0थाना भोजपुर, गा0बाद,

मु0अ0स0 264/22 धारा 136 वि0 अधि0थाना भोजपुर, गा0बाद,

मु0अ0स0 283/22 धारा 136, 137 वि0 अधि0थाना भोजपुर, गा0बाद,

मु0अ0स0 316/22 धारा 4/25 आर्मस एक्ट थाना भोजपुर, गा0बाद

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त-

5. दीपाशु पुत्र लालाराम नि0 अम्बेडकर मौ0 थाना सुरजपुर जिला गौतम बुद्ध नगर

अभियोगों का विवरण:-

मु0अ0स0 74/22 धारा 136 वि0 अधि0 थाना भोजपुर, गा0बाद,

मु0अ0स0 110/22 धारा 136 वि0 अधि0 थाना भोजपुर, गा0बाद,

मु0अ0स0 140/22 धारा 136 वि0 अधि0थाना भोजपुर, गा0बाद,

मु0अ0स0 161/22 धारा 136 वि0 अधि0थाना भोजपुर, गा0बाद,

मु0अ0स0 182/22 धारा 136 वि0 अधि0थाना भोजपुर, गा0बाद,

मु0अ0स0 204/22 धारा 136 वि0 अधि0थाना भोजपुर, गा0बाद,

मु0अ0स0 244/22 धारा 136 वि0 अधि0थाना भोजपुर, गा0बाद,

मु0अ0स0 264/22 धारा 136 वि0 अधि0थाना भोजपुर, गा0बाद,

मु0अ0स0 283/22 धारा 136, 137 वि0 अधि0थाना भोजपुर, गा0बाद,

नाम पता फरार अभियुक्त-

1. आजाद पुत्र शमशाद नि0 नि0 कलछीना

2. आरिफ उर्फ चेहु पुत्र आजाद नि0 कलछीना थाना भोजपुर गा0बाद

3. नवेद पुत्र अज्ञात नि० अज्ञात

4. मोनु पुत्र अज्ञात नि० अज्ञात

अभियोगों का विवरण:-

मु०अ०स० 74/22 धारा 136 वि० अधि० थाना भोजपुर, गा०बाद,

मु०अ०स० 110/22 धारा 136 वि० अधि० थाना भोजपुर, गा०बाद,

मु०अ०स० 140/22 धारा 136 वि० अधि०थाना भोजपुर, गा०बाद,

मु०अ०स० 161/22 धारा 136 वि० अधि०थाना भोजपुर, गा०बाद,

मु०अ०स० 182/22 धारा 136 वि० अधि०थाना भोजपुर, गा०बाद,

मु०अ०स० 204/22 धारा 136 वि० अधि०थाना भोजपुर, गा०बाद,

मु०अ०स० 244/22 धारा 136 वि० अधि०थाना भोजपुर, गा०बाद,

मु०अ०स० 264/22 धारा 136 वि० अधि०थाना भोजपुर, गा०बाद,

मु०अ०स० 283/22 धारा 136, 137 वि० अधि०थाना भोजपुर, गा०बाद,

बरामदगी का विवरण:-

एक अदद हथौडा (वरामदा मुकुन्द से) व विजली का तार काटने का प्लासनुमा कटर वरामदा)तुषार से व (एक अदद तमंचा) वोर मय एक अदद जिन्दा कारतूस 0315 वोर 0315वरामदा मुफीद (व एक छोटी छैनी लोहा व एक गुलमेक लोहावराम)दा मुफीद से (व एक अदद चाकूवरा)मदा साजिद से (व एक चौकोर पाना वरामदा) साजिद सेव (एक पाना लोहा एक पेचकस एक चावी लोहा वरामदा) दीपाशु से (व मय धटना मे प्रयुक्त वाहन बुलेरो पिकअप न 0UP-14HT 5927 मय एक अदद मोटर साइकिल न 0UP-14CX-8820 मय मीटर तार(एलयुमिनियम) 700

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ०नि० श्री श्रीनिवास गौतम, थाना भोजपुर, गाजियाबाद,

2. उ०नि० श्री सोमपाल सिंह, थाना भोजपुर, गाजियाबाद,

3. उ०नि० श्री कन्हैयालाल, थाना भोजपुर, गाजियाबाद,

4. उ०नि० श्री विपिन कुमार, थाना भोजपुर, गाजियाबाद,

5. उ०नि० श्री यशपाल सिंह, थाना भोजपुर, गाजियाबाद,

6. कां० 3871 दीपक कुमार, थाना भोजपुर, गाजियाबाद,

7. कां० 809 दिनेश कुमार, थाना भोजपुर, गाजियाबाद,

प्रेस नोट

दिनांक-14.09.2022 थाना कविनगर (गाजियाबाद)

जनपद गाजियाबाद के विभिन्न थानों में बन्द पडे मकानों/ फ्लैटों में नकबजनी करने वाले अन्तर्राज्जीय गैंग के चार शातिर अभियुक्तगण गिरफ्तार व मकानों/ फ्लैटों से चोरी किया गया माल (पीली व सफेद धातु के आभूषण) व चोरी के माल के विक्रय के 1 लाख 7 हजार रुपये तथा फ्लैट/ मकानों के ताले/कुण्डा तोडने के उपकरण सहित बरामद ।

जनपद गाजियाबाद में बन्द पडे फ्लैट / घरों मे लगातार हो रही नकबजनी को रोकने के लिए श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद गाजियाबाद द्वारा दिये गये आदेशो व निर्देशों के अनुक्रम में पुलिस अधीक्षक नगर प्रथम के निर्देशन व क्षेत्राधिकारी कविनगर के परिवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक कविनगर के नेतृत्व में थाना कविनगर पुलिस के द्वारा टीमों गठित कर लगातार रात्रि में बन्द पडे घरों में चोरी की घटना रोकने व उक्त घटनाओं के अनावरण हेतु प्रयास किये जा रहे थे। जिसके क्रम मे आज दिनांक 13/14.09.2022 को रात्रि गस्त व चैकिंग के दौरान मुखबिर खास की सूचना पर रेलवे लाइन के किनारे महागुन सोसायटी के पीछे जंगल से अभियुक्त गण (1) मुगलेशुर पुत्र अलाउद्दीन शेख निवासी झुग्गी न0 N 38B 287 सिटी पार्क थाना जहाँगीरपुरी दिल्ली (2) आफताव शेख पुत्र फिरोज निवासी झुग्गी न015 रामलीला पार्क के पीछे चर्च के पास मंगल बाजार चौक S 2 मार्केट थाना जहाँगीरपुरी दिल्ली (3) करीम उर्फ लल्ला पुत्र शेख हन्नान निवासी झुग्गी न0 617 जी ब्लाक जहाँगीरपुरी थाना जहाँगीरपुरी दिल्ली (4) मुरसलीन पुत्र बप्पी खॉन निवासी 108 जी ब्लाक जहाँगीरपुरी दिल्ली को गिरफ्तार किया गया तथा अभियुक्तों के कब्जे से थाना कविनगर, थाना मधुबन बापूधाम, थाना मसूरी से सम्बन्धित विभिन्न अभियोगो से सम्बन्धित भारी मात्रा मे चोरी सोने चांदी की ज्वेलरी व चोरी के माल के विक्रय के 1 लाख 7 हजार रुपये व घटना मे प्रयुक्त घरों के ताले/कुण्डा तोडने के उपकरण बरामद हुए, जिसके सम्बन्ध मे थाना कविनगर पर मु0अ0सं0 1282/22 धारा 411/414/34 भादवि पंजीकृत कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

घटना कारित करने का तरीका:-

पकडे गये अभियुक्तगण से पूछताछ की गयी तो अभियुक्तगण ने अपने अपने जुर्म का इकबाल करते हुए बताया कि हम लोग अपने अन्य साथियो के के साथ मिलकर विभिन्न राज्यों व NCR क्षेत्र में बन्द पडे घरों/फ्लैटों को निशाना बनाकर रैकी करके उनके घरों मे रखे नगदी व जेवरात को मौका पाकर चोरी करते थे तथा करीब 1 माह से रात्रि में हमने थाना कविनगर/मसूरी/मधुबन बापूधाम मे घरों/ फ्लैटों में कटर का प्रयोग करके घर का ताला/कुण्डा तोडकर/ काटकर घर मे घुसकर नकबजनी की घटना को अन्जाम देते थे । तथा चोरी किये गये माल (सोने चांदी के आभूषण) को अपने साथी शारुन निवासी जहाँगीरपुरी दिल्ली की मदद से राजाराम सुनार निवासी भलस्वा डेरी दिल्ली को बेच देते थे । अभियुक्त गण शातिर किस्म के आपराधी है जो मौका पाकर घरों मे चोरी व नकबजनी जैसे संगीन अपराध कारित करते है, जो पूर्व मे भी दिल्ली व राजस्थान राज्य से जेल जा चुके है । पुलिस द्वारा अभियुक्त गण के अन्य फरार साथियो की तलाश की जा रही है ।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त -

- (1) मुगलेशुर पुत्र अलाउद्दीन शेख निवासी झुग्गी न0 N 38B 287 सिटी पार्क थाना जहाँगीरपुरी दिल्ली उम्र 30 वर्ष ।
- (2) आफताव शेख पुत्र फिरोज निवासी झुग्गी न015 रामलीला पार्क के पीछे चर्च के पास मंगल बाजार चौक S 2 मार्केट थाना जहाँगीरपुरी दिल्ली उम्र 22 वर्ष ।
- (3) करीम उर्फ लल्ला पुत्र शेख हन्नान निवासी झुग्गी न0 617 जी ब्लाक जहाँगीरपुरी थाना जहाँगीरपुरी दिल्ली उम्र 19 वर्ष ।
- (4) मुरसलीन पुत्र बप्पी खॉन निवासी 108 जी ब्लाक जहाँगीरपुरी दिल्ली उम्र करीब 20 वर्ष ।

नाम पता फरार अभियुक्त-

1. गुलाम मुस्तफा पुत्र बप्पी निवासी जी ब्लाक 108 नाले के उपर झुग्गी जहाँगीरपुरी थाना जहाँगीरपुरी दिल्ली
2. फिरोज निवासी झुग्गी झोपडी जहागीरपुरी दिल्ली
3. शारुन निवासी जहांगीरपुरी दिल्ली ।
4. राजाराम सुनार निवासी भलस्वा डेरी दिल्ली ।

बरामदगी का विवरण-

- एक काला बैग लैदरलुक, एक बड़ा कटर रंग नीला / काला लोहे का, दो अदद पेंचकस, ताला तोड़ने की लोहे की मजबूत सुम्मी, तीन मास्टर चाबी बडी
- पाजेब 12 जोडी ,बिछुआ 20 जोडी, अगूठी 13 , घूघरु 52, ताबीज 2 ,चेन 2, खड्डूआ 3 जोडी, लाकित 3 , तीन बर्तन, सिक्के 2 (सभी सफेद धातु)
- चूडी 4 ,कडे 2 ,गले का सैट 1, चेन 3, मंगलसूत्र का लाकेट 1, कान का झूमका 2 जोडी, कान की बाली 2 जोडी, अगूठी 7, मंगलसूत्र 2 (सभी पीली धातु)
- एक लाख सात हजार रुपये नगद ।
- एक हाथ घडी,

आपराधिक इतिहास अभियुक्त मुगलेशुर-

1. मु0अ0सं0 1282/22 धारा 411/414/34 भादवि थाना कविनगर गाजियाबाद
2. मु0अ0सं0 1178/22 धारा 457,380 भादवि थाना कविनगर गाजियाबाद ।
3. मु0अ0सं0 1187/22 धारा 457,380 भादवि थाना कविनगर गाजियाबाद ।
4. मु0अ0सं0 1215/22 धारा 380 भादवि, थाना कविनगर गाजियाबाद ।
5. मु0अ0सं0 1276/22 धारा 380 भादवि, थाना कविनगर गाजियाबाद ।
6. मु0अ0सं0 1075/22 धारा 380 भादवि, थाना कविनगर गाजियाबाद ।
7. मु0अ0सं0 1280/22 धारा 380 भादवि, थाना कविनगर गाजियाबाद ।
8. मु0अ0सं0 1275/22 धारा 380 भादवि थाना कविनगर गाजियाबाद ।
9. मु0अ0सं0 322/22 धारा 380 भादवि थाना मधुबन बापूधाम गाजियाबाद ।
10. मु0अ0सं0 354/22 धारा 380 भादवि, थाना मधुबन बापूधाम गाजियाबाद ।
11. मु0अ0सं0 407/22 धारा 380 भादवि थाना मधुबन बापूधाम गाजियाबाद ।
12. मु0अ0सं0 594/2022 धारा 380 भादवि0 थाना मसूरी गाजियाबाद ।
13. मु0अ0सं0 595/2022 धारा 457/380 भादवि0 थाना मसूरी गाजियाबाद ।
14. मु0अ0सं0 596/2022 धारा 457/380 भादवि0 थाना मसूरी गाजियाबाद ।
15. मु0अ0सं0 609/2022 धारा 380 भादवि0 थाना मसूरी गाजियाबाद ।
16. मु0अ0सं0 677/2022 धारा 380 भादवि0 थाना मसूरी गाजियाबाद ।
17. मु0अ0सं0 678/2022 धारा 380 भादवि0 थाना मसूरी गाजियाबाद ।

18. मु0अ0सं0 603/2022 धारा 380/511 भादवि0 थाना मसूरी गाजियाबाद ।

19. मु0अ0सं0 776/21 धारा 457/380/401/411/413 भादवि थाना झोटवाडा जयपुर राजस्थान

20. मु0अ0सं0 744/21 धारा 457/380/401/411/413 भादवि थाना झोटवाडा जयपुर राजस्थान
21. मु0अ0सं0 787/21 धारा 457/380/401/411/413 भादवि थाना झोटवाडा जयपुर राजस्थान
22. मु0अ0सं0 784/21 धारा 457/380/401/411/413 भादवि थाना झोटवाडा जयपुर राजस्थान
23. मु0अ0सं0 759/21 धारा 457/380/401/411/413 भादवि थाना झोटवाडा जयपुर राजस्थान
24. मु0अ0सं0 777/21 धारा 457/380/401/411/413 भादवि थाना झोटवाडा जयपुर राजस्थान
25. मु0अ0सं0 256/17 धारा 380/457/34 भादवि थाना भारत नगर दिल्ली
26. मु0अ0सं0 10/18 धारा 380/458/411/34 भादवि थाना भारत नगर दिल्ली
27. मु0अ0सं0 124/18 धारा 380/458/411/34 भादवि थाना भारत नगर दिल्ली
28. मु0अ0सं0 423/18 धारा 380/457 भादवि थाना मुखर्जी नगर दिल्ली
29. मु0अ0सं0 465/18 धारा 380/457 भादवि थाना मुखर्जी नगर दिल्ली
30. मु0अ0सं0 460/18 धारा 380/457/411/34 भादवि थाना मुखर्जी नगर दिल्ली
31. मु0अ0सं0 466/18 धारा 380/457 भादवि थाना मुखर्जी नगर दिल्ली
32. मु0अ0सं0 418/18 धारा 380/457 भादवि थाना मुखर्जी नगर दिल्ली
33. मु0अ0सं0 18521/18 धारा 379/411/34 भादवि ई पुलिस थाना जिला क्राइम, दिल्ली
34. मु0अ0सं0 485/18 धारा 380/454 भादवि थाना विकास पुरी दिल्ली
35. मु0अ0सं0 79ए/18 धारा 411 डी /102 द0प्र0सं0 भादवि विजयविहार दिल्ली
36. मु0अ0सं0 435/21 धारा 457/380/411 भादवि थाना मुरलीपुरा जयपुर राजस्थान
37. मु0अ0सं0 436/21 धारा 457/380/411 भादवि थाना मुरलीपुरा जयपुर राजस्थान

आपराधिक इतिहास अभियुक्त आफताब:-

1. मु0अ0सं0 1282/22 धारा 411/414/34 भादवि थाना कविनगर गाजियाबाद।
2. मु0अ0सं0 1178/22 धारा 457,380 भादवि थाना कविनगर गाजियाबाद ।
3. मु0अ0सं0 1187/22 धारा 457,380 भादवि थाना कविनगर गाजियाबाद ।
4. मु0अ0सं0 1215/22 धारा 380 भादवि, थाना कविनगर गाजियाबाद ।
5. मु0अ0सं0 1276/22 धारा 380 भादवि, थाना कविनगर गाजियाबाद ।
6. मु0अ0सं0 1075/22 धारा 380 भादवि, थाना कविनगर गाजियाबाद ।
7. मु0अ0सं0 1280/22 धारा 380 भादवि, थाना कविनगर गाजियाबाद ।
8. मु0अ0सं0 1275/22 धारा 380 भादवि थाना कविनगर गाजियाबाद ।
9. मु0अ0सं0 322/22 धारा 380 भादवि थाना मधुबन बापूधाम गाजियाबाद ।
10. मु0अ0सं0 354/22 धारा 380 भादवि, थाना मधुबन बापूधाम गाजियाबाद ।
11. मु0अ0सं0 407/22 धारा 380 भादवि थाना मधुबन बापूधाम गाजियाबाद ।
12. मु0अ0सं0 594/2022 धारा 380 भादवि0 थाना मसूरी गाजियाबाद ।
13. मु0अ0सं0 595/2022 धारा 457/380 भादवि0 थाना मसूरी गाजियाबाद ।
14. मु0अ0सं0 596/2022 धारा 457/380 भादवि0 थाना मसूरी गाजियाबाद ।
15. मु0अ0सं0 609/2022 धारा 380 भादवि0 थाना मसूरी गाजियाबाद ।

16.मु0अ0सं0 677/2022 धारा 380 भादवि0 थाना मसूरी गाजियाबाद ।

17.मु0अ0सं0 678/2022 धारा 380 भादवि0 थाना मसूरी गाजियाबाद ।

18. मु0अ0सं0 776/21 धारा 457/380/401/411/413 भादवि थाना झोटवाडा जयपुर राजस्थान
19. मु0अ0सं0 744/21 धारा 457/380/401/411/413 भादवि थाना झोटवाडा जयपुर राजस्थान
20. मु0अ0सं0 787/21 धारा 457/380/401/411/413 भादवि थाना झोटवाडा जयपुर राजस्थान
21. मु0अ0सं0 784/21 धारा 457/380/401/411/413 भादवि थाना झोटवाडा जयपुर राजस्थान
22. मु0अ0सं0 759/21 धारा 457/380/401/411/413 भादवि थाना झोटवाडा जयपुर राजस्थान
23. मु0अ0सं0 777/21 धारा 457/380/401/411/413 भादवि थाना झोटवाडा जयपुर राजस्थान
24. मु0अ0सं0 435/21 धारा 457/380/411 भादवि थाना मुरलीपुरा जयपुर राजस्थान
25. मु0अ0सं0 436/21 धारा 457/380/411 भादवि थाना मुरलीपुरा जयपुर राजस्थान

आपराधिक इतिहास अभियुक्त करीम उर्फ लल्ला-

1. मु0अ0सं0 1282/22 धारा 411/414/34 भादवि थाना कविनगर गाजियाबाद।
2. मु0अ0सं0 1178/22 धारा 457,380 भादवि थाना कविनगर गाजियाबाद ।
3. मु0अ0सं0 1187/22 धारा 457,380 भादवि थाना कविनगर गाजियाबाद ।
4. मु0अ0सं0 1215/22 धारा 380 भादवि, थाना कविनगर गाजियाबाद ।
5. मु0अ0सं0 1276/22 धारा 380 भादवि, थाना कविनगर गाजियाबाद ।
6. मु0अ0सं0 1075/22 धारा 380 भादवि, थाना कविनगर गाजियाबाद ।
7. मु0अ0सं0 1280/22 धारा 380 भादवि, थाना कविनगर गाजियाबाद ।
8. मु0अ0सं0 1275/22 धारा 380 भादवि थाना कविनगर गाजियाबाद ।
9. मु0अ0सं0 322/22 धारा 380 भादवि थाना मधुबन बापूधाम गाजियाबाद ।
10. मु0अ0सं0 354/22 धारा 380 भादवि, थाना मधुबन बापूधाम गाजियाबाद ।
11. मु0अ0सं0 407/22 धारा 380 भादवि थाना मधुबन बापूधाम गाजियाबाद ।
12. मु0अ0सं0 594/2022 धारा 380 भादवि0 थाना मसूरी गाजियाबाद ।
13. मु0अ0सं0 595/2022 धारा 457/380 भादवि0 थाना मसूरी गाजियाबाद ।
14. मु0अ0सं0 596/2022 धारा 457/380 भादवि0 थाना मसूरी गाजियाबाद ।
15. मु0अ0सं0 609/2022 धारा 380 भादवि0 थाना मसूरी गाजियाबाद ।
16. मु0अ0सं0 677/2022 धारा 380 भादवि0 थाना मसूरी गाजियाबाद ।
17. मु0अ0सं0 678/2022 धारा 380 भादवि0 थाना मसूरी गाजियाबाद ।
18. मु0अ0सं0 177/2021 धारा 25/54/59 आर्मस एक्ट थाना मेहरौली दिल्ली ।
19. मु0अ0सं0 391/2015 धारा 380/511/34 भादवि थाना अली पूर दिल्ली।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त मुरसलीन-

1. मु0अ0सं0 1282/22 धारा 411/414/34 भादवि थाना कविनगर गाजियाबाद।
2. मु0अ0सं0 1178/22 धारा 457,380 भादवि थाना कविनगर गाजियाबाद ।
3. मु0अ0सं0 1187/22 धारा 457,380 भादवि थाना कविनगर गाजियाबाद ।
4. मु0अ0सं0 1215/22 धारा 380 भादवि, थाना कविनगर गाजियाबाद ।
5. मु0अ0सं0 1276/22 धारा 380 भादवि, थाना कविनगर गाजियाबाद ।

6. मु0अ0स0 1075/22 धारा 380 भादवि, थाना कविनगर गाजियाबाद ।
7. मु0अ0स0 1280/22 धारा 380 भादवि, थाना कविनगर गाजियाबाद ।

8. मु0अ0सं0 1275/22 धारा 380 भादवि थाना कविनगर गाजियाबाद ।
9. मु0अ0सं0 322/22 धारा 380 भादवि थाना मधुबन बापूधाम गाजियाबाद ।
10. मु0अ0सं0 354/22 धारा 380 भादवि, थाना मधुबन बापूधाम गाजियाबाद ।
11. मु0अ0सं0 407/22 धारा 380 भादवि थाना मधुबन बापूधाम गाजियाबाद ।
12. मु0अ0सं0 594/2022 धारा 380 भादवि0 थाना मसूरी गाजियाबाद ।
13. मु0अ0सं0 595/2022 धारा 457/380 भादवि0 थाना मसूरी गाजियाबाद ।
14. मु0अ0सं0 596/2022 धारा 457/380 भादवि0 थाना मसूरी गाजियाबाद ।
15. मु0अ0सं0 609/2022 धारा 380 भादवि0 थाना मसूरी गाजियाबाद ।
16. मु0अ0सं0 677/2022 धारा 380 भादवि0 थाना मसूरी गाजियाबाद ।
17. मु0अ0सं0 678/2022 धारा 380 भादवि0 थाना मसूरी गाजियाबाद ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री अमित कुमार थाना कविनगर गाजियाबाद ।
2. निरीक्षक श्री गिरीश चन्द्र जोशी थाना कविनगर गाजियाबाद ।
3. निरीक्षक श्री तनवीर आलम थाना कविनगर गाजियाबाद ।
4. उ0नि0 मोहित कुमार श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर प्रथम की SOG टीम
5. उ0नि0 शशी कुमार थाना कविनगर गाजियाबाद ।
6. उ0नि0 कर्मवीर सिंह थाना कविनगर गाजियाबाद ।
7. उ0नि0 अन्नु कुमार मलिक थाना कविनगर गाजियाबाद ।
8. उ0नि0 संजीव कुमार थाना कविनगर गाजियाबाद ।
9. है0का0 1277 मोनू श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर प्रथम की SOG टीम
10. है0का0 334 अनुज श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर प्रथम की SOG टीम
11. है0का0 1372 आसिफ श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर प्रथम की SOG टीम
12. का0 3025 विपुल श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर प्रथम की SOG टीम
13. का0 3076 अखिलेश श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर प्रथम की SOG टीम
14. है0का0 1626 योगेश राठी थाना कविनगर गाजियाबाद ।
15. है0का0 357 सुनील लाटियान थाना कविनगर गाजियाबाद ।
16. है0का0 467 अरविन्द कुमार थाना कविनगर गाजियाबाद ।
17. का0 1381 मुकेश कुमार थाना कविनगर गाजियाबाद ।
18. का0 2131 तेजकुमार थाना कविनगर गाजियाबाद ।

प्रेस नोट थाना टीला मोड़ दि0- 14.09.2022

थाना टीलामोड़ की पुलिस टीम द्वारा हत्या के अभियोग के वांछित तीन अभियुक्तगणों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया।

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय गाजियाबाद द्वारा अपराध नियंत्रण के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान में श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर द्वितीय के निर्देशन में श्रीमान सहायक पुलिस अधीक्षक/ क्षेत्राधिकारी नगर चतुर्थ के पर्यवेक्षण एवं प्रभारी निरीक्षक के नेतृत्व में थाना टीला मोड़ पुलिस द्वारा हत्या के अभियोग के वांछित तीन अभियुक्तगणों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया।

आवेदिका श्रीमति सविता जाटव पत्नी विजय नि0 असालतपुर फर्रुखनगर थाना टीला मोड़ गाजियाबाद द्वारा दिनांक 11.09.22 को अपने पति विजय की गुमशुदगी के सम्बन्ध में थाने पर शिकायत दर्ज करायी थी जिसकी जाँच उ0नि0 देवेन्द्र सिंह द्वारा की जा रही थी। किन्तु उसके उपरान्त दिनांक 13.09.22 को वादिया श्रीमति सविता पत्नी विजय उपरोक्त के द्वारा एक किता तहरीर अभियुक्तगण 1.सलमान पुत्र सम्मी नि0 असालतपुर फर्रुखनगर थाना टीला मोड़ गाजियाबाद उम्र 24 वर्ष 2.शाहरुख पुत्र गबरु नि0गण असालतपुर फर्रुखनगर थाना टीला मोड़ गाजियाबाद उम्र 26 वर्ष 3.शहजाद पुत्र शहीद नि0 जिला पंचायत मार्केट के पीछे आर्य नगर मुरादनगर थाना मुरादनगर गाजियाबाद उम्र 46 वर्ष के विरुद्ध देकर थाना हाजा पर मु0अ0सं0 460/22 धारा 302/201/34 भादवि व 2(2)(5) एससीएसटी एक्ट पंजीकृत कराया। जिसकी विवेचना श्रीमान क्षेत्राधिकारी चतुर्थ महोदय साहिबाबाद गाजियाबाद ग्रहण की गयी। दौराने विवेचना साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुये साक्ष्यों के आधार पर दिनांक 14.09.22 को अभियुक्तगण सलमान, शाहरुख, शहजाद उपरोक्त को गिरफ्तार किया गया है। जिनकी निशादेही पर मृतक विजय की सम्पत्ति बरामद हुई है। घटना का अनावरण करते गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगणों से शक्ति से पूछताछ की गयी तो अभियुक्तगण सलमान, शाहरुख, शहजाद उपरोक्त ने मृतक विजय की हत्या का इकबाल करते हुये बताया कि मृतक विजय हमारे साथ ठेकेदारी में मजदूरी का कार्य करते थे और पैसों को आपस में बांट लेते हैं दिनांक 10.09.22 को हम लोग विजय को घर से अपने साथ काम पर खादर में ले गये थे वहाँ जाकर विजय ने पैसे माँगे न देने पर पुलिस में शिकायत करने की बात कहने लगा तो इसी बात को लेकर हमने विजय को हिन्दन नदी में डूबोकर मार डाला। तथा उसके

कपडो व चप्पल व टिफिन स्टील, एक आधार कार्ड मृतक विजय को झाडी मे छिपा दिया था तथा मोटरसाईकिल नं0 UP16AQ9185 को वही पास मे ही नदी के किनारे पानी मे डाल दिया था।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तगण :-

- 1.सलमान पुत्र सम्मी नि0 असालतपुर फर्रुखनगर थाना टीला मोड गाजियाबाद उम्र 24 वर्ष
- 2.शाहरुख पुत्र गबरु नि0गण असालतपुर फर्रुखनगर थाना टीला मोड गाजियाबाद उम्र 26 वर्ष
- 3.शहजाद पुत्र शहीद नि0 जिला पंचायत मार्केट के पीछे आर्य नगर मुरादनगर थाना मुरादनगर गाजियाबाद उम्र 46 वर्ष

बरामदगी का विवरण-

- 1.एक अदद प्लास्टिक थैला मृतक
- 2.एक टिफिन स्टील
- 3.एक जोडी मृतक की लाल रंग की चप्पल
4. एक नीले रंग की मृतक की पेंट व सफेद छीटदार शर्ट
- 5.मृतक का आधार कार्ड

अपराधिक इतिहास अभियुक्त

आपराधिक इतिहास अभियुक्त सलमान

मु0अ0सं0 460/22 धारा 302/201/34 भादवि व 2(2)(5) एससीएसटी एक्ट थाना टीला मोड गाजियाबाद

आपराधिक इतिहास को ज्ञात किया जा रहा है ।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त शाहरुख

मु0अ0सं0 460/22 धारा 302/201/34 भादवि व 2(2)(5) एससीएसटी एक्ट थाना टीला मोड गाजियाबाद

आपराधिक इतिहास को ज्ञात किया जा रहा है ।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त शहजाद

मु0अ0सं0 460/22 धारा 302/201/34 भादवि व 2(2)(5) एससीएसटी एक्ट थाना टीला मोड गाजियाबाद

आपराधिक इतिहास को ज्ञात किया जा रहा है ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -

श्री स्वतंत्र सिंह क्षेत्राधिकारी साहिबाबाद गा0बाद
प्रभारी निरीक्षक श्री भुवनेश कुमार थाना टीला मोड गाजियाबाद

उ0नि0 देवेन्द्र सिंह थाना टीला मोड गाजियाबाद

हे0का0 1566 राजीव थाना टीला मोड गाजियाबाद

हे0का0 1568 योगेन्द्र थाना टीला मोड गाजियाबाद

का0 783 मुन्नवर अली थाना टीला मोड गाजियाबाद

का0 3803 सुमित थाना टीला मोड गाजियाबाद

का0 1447 आशु पुण्डीर थाना टीला मोड गाजियाबाद

दिनांक 14.09.2022 थाना निवाडी जनपद गा0बाद

थाना निवाडी पुलिस द्वारा थाना हाजा के मुकदमें के 01 वांछित गिरफ्तार

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद महोदय द्वारा चलाये जा रहे अभियान, चैकिंग संदिग्ध वाहन/वांछित/व्यक्ति/रोकथाम जुर्म जरायम अभियान के क्रम में चलाये जा रहे अभियान के दौरान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण महोदय के कुशल निर्देशन तथा क्षेत्राधिकारी मोदीनगर के पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष थाना निवाडी जनपद गाजियाबाद, के नेतृत्व में उ0नि0 श्री उ0नि0 श्री किरनपाल सिंह, का0 1275 नीरज शर्मा थाना निवाडी जनपद गाजियाबाद में वांछित अभियुक्त 1.. मुरसलीम पुत्र अलमुदीन निवासी ग्राम सारा थाना निवाडी जनपद गाजियाबाद सम्बन्धित मु0अ0स0 संख्या 193/22 धारा 452.336.323.504.506 भादवि मे गिरफ्तार किया गया।

अपराध करने का तरीका:-

अभि0 मुरसलीन द्वारा घर मे धुस कर ईट पत्थर बरसाना मारपीट करना गाली गलौच एव जान मारने की धमकी देना।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. मुरसलीम पुत्र अलमुदीन निवासी ग्राम सारा थाना निवाडी जनपद गाजियाबाद

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

1. उ0नि0 श्री किरनपाल सिंह थाना निवाडी गा0बाद
2. का0 1275 नीरज शर्मा थाना निवाडी गा0बाद

अभियुक्तगण के विरुद्ध पंजीकृत अभियोग:-

1. मु0अ0सं0 193/22 धारा 452.336.323.504.506 भादवि0 थाना निवाडी जनपद गाजियाबाद -

थाना निवाडी पुलिस द्वारा थाना हाजा के मुकदमें के 01 वांछित गिरफ्तार

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद महोदय द्वारा चलाये जा रहे अभियान, चैकिंग संदिग्ध वाहन/वांछित/व्यक्ति/रोकथाम जुर्म जरायम अभियान के क्रम में चलाये जा रहे अभियान के दौरान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण महोदय के कुशल निर्देशन तथा क्षेत्राधिकारी मोदीनगर

के पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष थाना निवाडी जनपद गाजियाबाद, के नेतृत्व में उ0नि0 श्री गौरव कुमार, उ0नि0 श्री किरनपाल सिंह, उ0नि0 श्री राजकुमार शर्मा, है0का0 615 ओपेन्द्र, थाना निवाडी जनपद गाजियाबाद में वांछित अभियुक्त 1. रहीस पुत्र हसनू निवासी नगला कुम्भा थाना जानी जिला मेरठ सम्बन्धित मु0अ0स0 172/2022धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट, में गिरफ्तार किया गया।

अपराध करने का तरीका:-

अभि0 रहीस द्वारा सुसंगठित गिरोह बनाकर लूट चोरी जैसे अपराध कारित कर अवैध धन अर्जित करना

गिरफ्तार अभियुक्त-

2. रहीस पुत्र हसनू निवासी नगला कुम्भा थाना जानी जिला मेरठ

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

3. उ0नि0 श्री गौरव कुमार थाना निवाडी गा0बाद
4. उ0नि0 श्री किरनपाल सिंह थाना निवाडी गा0बाद
5. उ0नि0 श्री राजकुमार शर्मा थाना निवाडी गा0बाद
6. है0का0 615 ओपेन्द्र थाना निवाडी गा0बाद

अभियुक्तगण के विरुद्ध पंजीकृत अभियोग:-

1. मु0अ0सं0 172/22 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना निवाडी गा0बाद- बनाम
2. मु0अ0स0 35/22 धारा 379 भादवि थाना निवाडी गा0बाद- उपरोक्त
3. मु0अ0स0 63/22 धारा 379 भादवि थाना निवाडी गा0बाद -उपरोक्त
4. मु0अ0स0 94/22 धारा 395/397/412 भादवि थाना निवाडी गा0बाद- उपरोक्त
5. मु0अ0स0 99/22 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना निवाडी गा0बाद- उपरोक्त

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम द्वारा 02 नफर अभि0 गिरफ्तार, जिनके कब्जे से चोरी की मोटर साइकिल हीरो स्पलैण्डर मोटर साइकिल (रंग काला) बरामद होना

दिनांक 14.09.2022

कार्यवाही:- जनपद गाजियाबाद में अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के दौरान श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद महोदय के निर्देशन एवं श्रीमान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण, महोदय के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक श्री अरविन्द पाठक की टीम द्वारा दिनांक -13.09.2022 दौराने चैकिंग समय 22.30 बजे निकट सिद्ध बाबा मंदिर तिराहे के नजदीक , खानपुर मोड की तरफ सडक, चौकी रामपार्क, थाना ट्रोनिका सिटी पर चैकिंग के दौरान दो नफर अभियुक्त 1. राशिद पुत्र शौकीन नि0 गली नं. 04, पूजा कालोनी मंगल बाजार, नियर बिस्मिल्ला मस्जिद, थाना ट्रोनिका सिटी, गाजियाबाद, उम्र करीब 23 वर्ष 2. अमित यादव पुत्र नरेश कुमार यादव नि. एफ. ब्लाक गली नं. 3, रामपार्क एक्स., थाना ट्रोनिका सिटी, गाजियाबाद, उम्र करीब 19 को एक चोरी की मोटर साइकिल हीरो होण्डा स्पलैण्डर (काला रंग) के साथ गिरफ्तार किया गया।

नाम पता अभियुक्त

1. राशिद पुत्र शौकीन नि० गली नं. 04, पूजा कालोनी मंगल बाजार, नियर बिस्मिल्ला मस्जिद, थाना ट्रोनिका सिटी, गाजियाबाद, उम्र करीब 23 वर्ष।
2. अमित यादव पुत्र नरेश कुमार यादव नि. एफ. ब्लाक गली नं. 3, रामपार्क एक्स., थाना ट्रोनिका सिटी, गाजियाबाद, उम्र करीब 19।

आपराधिक इतिहास

1. मु०अ०सं० 524/22 धारा 411/414/482 भादावि थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद बनाम 1. राशिद पुत्र शौकीन व 2. अमित यादव पुत्र नरेश कुमार उपरोक्त।

अपराध करने का तरीका

अभियुक्तगणों द्वारा पूछताछ पर बताया कि हम बाजारों व मोहल्लों में खड़ी मोटर साइकिल को चोरी कर कूट रचित नम्बर प्लेट लगाकर सस्ते दामों में बेच देते हैं जिससे हम अपने शौक व खर्च पूरे करता हूँ।

गिरफ्तार एवं बरामदगी करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ०नि० श्री कृष्ण कुमार
2. का० 1233 मनवीर
3. का० 1157 विनीत कुमार

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम द्वारा 1अभियुक्त गिरफ्तार, जिसके कब्जे से 01

अदद नाजायज तमंचा बरामद

दिनांक 14.09.2022

कार्यवाही:- जनपद गाजियाबाद में अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के दौरान श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद महोदय के निर्देशन एवं श्रीमान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण, महोदय व श्रीमान क्षेत्राधिकारी लोनी महोदय के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक श्री अरविन्द पाठक की टीम द्वारा दिनांक -14.09.2022 दौराने चैकिंग समय 00.15 बजे निकट ग्राम अगरौला की हद में फैक्ट्री एरिया के पीछे, पुस्ता चौकी, थाना ट्रोनिका सिटी पर चैकिंग के दौरान एक नफर अभियुक्त आबिद पुत्र इस्लाम नि० मौ० नई बस्ती पुराना थाना खेखडा थाना खेखडा जनपद बागपत उम्र 24 वर्ष, जिसके कब्जे से एक अदद नाजायज तमंचा 315 बोर मय एक जिन्दा कार० बरामद होना।

नाम पता अभियुक्त

1. आबिद पुत्र इस्लाम नि० मौ० नई बस्ती पुराना थाना खेखडा थाना खेखडा जनपद बागपत उम्र 24 वर्ष।

आपराधिक इतिहास

1. मु०अ०सं० 525/22 धारा 3/25 आयुध अधि० बनाम आबिद पुत्र इस्लाम।

अपराध करने का तरीका-

अभियुक्तगण ने पूछताछ पर बताया कि मैं तमंचे दिखाकर लोगो के मन में भय बनाकर जरूरत पडने पर तमंचे से फायर कर करके अपने शौक पूरे करते हैं।

गिरफ्तार एवं बरामदगी करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 श्री विनय कुमार
2. है0का0 769 पंकज शर्मा
3. का0 1725 विवेक चौहान

बरामदगी का विवरण-

1. एक अदद नाजायज तमचा 315 बोर मय एक अदद जिन्दा कार0 ।

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम द्वारा 01 नफर अभि0 गिरफ्तार, जिसके कब्जे से 01 अदद चाकू नाजायज बरामद

दिनांक 14.09.2022

कार्यवाही:- जनपद गाजियाबाद में अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के दौरान श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद महोदय के निर्देशन एवं श्रीमान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण, महोदय के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक श्री अरविन्द पाठक की टीम द्वारा दिनांक -14.09.2022 दौरान चैकिंग समय 00.15 बजे निकट ग्राम अगरोला की हद में फैक्ट्री एरिया के पीछे ,पुस्ता चौकी, थाना ट्रोनिका सिटी पर चैकिंग के दौरान एक नफर अभियुक्त 1. संदीप पुत्र श्री भगवान नि0 वाल्मिकी मौहल्ला खेखडा थाना खेखडा जनपद गाजियाबाद उम्र 25 वर्ष को गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से एक अदद चाकू नाजायज बरामद हुआ ।

नाम पता अभियुक्त

संदीप पुत्र श्री भगवान नि0 वाल्मिकी मौहल्ला खेखडा थाना खेखडा जनपद गाजियाबाद उम्र 25 ।

आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0सं0 526/22 धारा 4/25 आयुध अधि0 बनाम संदीप थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद ।
2. मु0अ0सं0 481/20 धारा 60/63 आबकारी अधि0 थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद ।

अपराध करने का तरीका

अभियुक्तगण ने पूछताछ पर बताया कि मैं चाकू दिखाकर लोगों के मन में भय बनाकर अपने शौक पूरे करते है ।

गिरफ्तार एवं बरामदगी करने वाली पुलिस टीम:-

4. उ0नि0 श्री विनय कुमार
5. है0का0 769 पंकज शर्मा
6. का0 1725 विवेक चौहान